तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मालाराम **बनाम** लो.सू.अ.(उपखण्ड अधिकारी फलोदी) सू.अ.अ. अपील संख्या 191 / 2020	
26.11.20	अपीलार्थी मालाराम पुत्र भरमलराम खिलेरी, पता ग्राम सोनलपुरा राणेरी तहसील बाप जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.08..20 में उसके द्वारा (1) खसरा नम्बर 20 की भूमि उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश दिनांक 17.05.1979 के अनुसार भूमि का एलोटमेंट किया गया, के आदेश , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी फलोदी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लो.सू.अ..(उपखण्ड अधिकारी फलोदी .) से जरिये पत्रांक 284 दिनांक 25.11.2020 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में प्रार्थी को कार्यालय के पत्रांक 239 दिनांक 30.09.2020 को समयावधि में [illegible] उपलब्ध करवा दी गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई अतः अपील [illegible] योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh Ir
Date: 2020.12.16 15:29:39 IST
Reason: SelfAttested